रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1654] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2012/भाद्र 6, 1934

No. 1654] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2012/BHADRA 6, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

आय-कर

का.आ. 1979 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2013 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 40खक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"किसी कम्पनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध ।"

40खक. अकाउंटेन्ट की रिपोर्ट जिसका धारा 15ञग की उप-धारा (3) के अधीन निर्धारिती द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, प्ररूप सं. 29ग में होगी ।"

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 29ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं0 29ग

[नियम 40खक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के अधीन किसी कंपनी से भिन्न व्यक्ति की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना करने के लिए रिपोर्ट

1. मैंने/हमने* 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर के परिनिर्धारण के लिए (कारबार की प्रकृति) के कारबार में लगे हुए (स्थायी लेखा संख्यांक के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है ।

2. (क) मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के उपबंधों के अनुसार की गई है । निर्धारण वर्ष..... की बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन संदेय कर.....रुपये है, जिसे इस प्ररुप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है ।

3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी सवोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं ।

स्थान

तारीख .....

(हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और स्टांप/मुहर)

†अकाउंटेन्ट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. †यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है ।

(i) चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउंटेन्ट ; या

(ii) कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर किसी राज्य के संबंध में उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है ।

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक या सापेक्ष रूप में दिया जाता है, वहां रिपोर्ट में इसके कारणों का कथन किया जाएगा ।

उपाबंध क

[पैरा 2 देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के प्रयोजनों के लिए की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना से संबंधित ब्यौरे

1.	निर्धारिती का नाम			
2.	निर्धारिती का पता			
3.	स्थायी लेखा संख्यांक			
4.	निर्धारण वर्ष			
5.	आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व आय-कर अधिनियम अधिकथित रीति में संगणित निधारिती की कुल आय ।			
6.	ऊपर स्तंभ 5 में निर्दिष्ट कुल आय पर संदेय आय-कर ।			
7.	शीर्ष "ग" के अधीन अध्याय 6-क में सम्मिलित (धारा 80त से भिन्न) किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां"	क्रम सं0	धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया	दावा की गई कटौती की रकम
8.	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती की रकम ।			
9.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (5 + 7 + 8)			
10.	वैकल्पिक न्यूनतम कर (ऊपर स्तंभ 9 में संगणित समायोजित कुल आय का 18.5 %) ।"			

[अधिसूचना सं. 34/2012/फा. सं. 142/22/2012-एसओ (टीपीएल)]

जे. सरवणन, अवर सचिव (टीपीएल-III)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1705(अ), तारीख 26-7-2012 द्वारा किया गया ।